(42) 44

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म.प्र. ।

CF Rs 15/-

R-128-II/13

अधिवक्ता श्री पी.एल. पटेल एड० द्वारा प्रस्तुत। रीवा, दि. 11-12-12

11-12-12

रीडर

दिनांक 13-12-12 को प्रस्तुत

13-12-12

5-1-13

1- रामजीत यादव } पुत्र गण रामनिहोर यादव

2- रामजियावन यादव }

3- द्रुद्रिका यादव तनय कालू यादव

------- सभी निवासी ग्राम लालगंज थाना / तहसील नईगढ़ी जिला रीवा म.प्र. ----- आवेदक गण ।

विरुद्ध

1- दीनदयाल राम ब्रा. तनय द्वारिका प्रसाद थाना / तहसील नईगढ़ी जिला रीवा म.प्र. ।

2- म.प्र. शासन ------- अनावेदक गण ।

निगरानी विरुद्ध श्रीमान् न्यायालय तहसीलदार महोदय वृत्त नईगढ़ी तहसील नईगढ़ी जरिये प्र.क्र. 27अ12/2010-11 आदेश दिनांक 19-6-12, मुताबिक धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 ई. ।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं :-

1- यहकि अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध है ।

2- यहकि अनावेदक दीनदयाल राम ब्रा० तनय द्वारिका प्रसाद ब्रा. निवासी लालगंज द्वारा लालगंज की आराजी नं. 16/1 रकबा 0-194 हे. के सीमांकन बावत् आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था ।

(43)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 28/III/13 (रीवा) राजकपूर / पंचमप्रसाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों के हस्ताक्षर
6/2/19	इस प्रकरण में दिनांक 23/8/18 को उभय पक्ष अधिवक्ता के तर्क सुने जाकर प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था। प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी.......................................के प्रकरण क्रमांक .... में पारित आदेश दिनांक 19/6/12 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है । म0प्र0 भू0राजस्व संहिता में दिनांक 25/09/2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत इस न्यायालय को सुनवाई किये जाने तथा आदेश पारित किये जाने की अधिकारिता नहीं है । अत: नवीन संशोधन के अनुसार सुनवाई हेतु यह प्रकरण कलेक्टर जिला ......रीवा.......के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक .... को कलेक्टर जिला ......रीवा......के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । सदस्य 6/2/19.	